प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक-4 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 23-30 जनवरी 2017 मूल्य पांच रूपए

अतिक्रमणों के मामले में

उच्च न्यायालय के निर्देशों को फिर अंगूठा दिखाने की तैयारी में वीरभद्र सरकार

शिमला/बलदेव शर्मा

प्रदेश में अवैध भवन निमार्ण और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे दो ऐसे मसले है जिन पर उच्च न्यायालय भी अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए इन मामलों के लिये दोषी प्रशासनिक तन्त्र के खिलाफ कड़ी कारवाई करने के निर्देश दे चुका है। लेकिन न्यायालय का सम्मान करने की दुहाई देने वाली वीरभद्र सरकार ने इन मामलों में आये अदालती निर्देशों को अगूंठा दिखाते हुए अवैधताओं को नियमित करने का रास्ता अपना लिया है। स्मरणीय है कि शिमला और प्रदेश के अन्य भागों में हजारों की संख्या में अवैध भवन निर्माण है जबकि प्रदेश में टीसीपी एक्ट लागू है। लेकिन इस एक्ट के खिलाफ जाकर सरकार अवैध निर्माणो को नियमित करने के लिये नौ बार नियमों में ढील देकर रिटेन्शन पालिसियां ला चुकी है। हर बार लायी गयी पॉलिसि के साथ यही कहा जाता रहा है कि यह अन्तिम बार है। लेकिन यह अनितम बार कभी नही आयी। इस बार तो प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसका कडा संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने के निर्देश जारी किये थे। लेकिन इसका सरकार पर यह असर हुआ कि निर्देशों को अगूंठा दिखाते हुए विधान सभा में टीसीपी एक्ट में ही संशोधन का प्रस्ताव लेकर आ गयी जो कि ध्वनि मत से सदन में पारित हो गया।

विधानसभा से पारित होकर यह सं़शोधित विधेयक राजभवन पंहुचा। राज्यपाल ने भी उच्च न्यायालय की चिन्ता को स्वीकारते हुए इसको अपनी स्वीकृति देकर राजभवन में रोक लिया लेकिन राज्यपाल को भी अन्त में राजनीतिक दबाव के आगे झुकना पड़ा। क्योंकि सबसे पहले भाजपा ने ही राजभवन पहुंच कर इस संशोधित विधेयक को स्वीकृति देने के लिये राज्यपाल पर दबाव डाला भाजपा के बाद कांग्रेस ने राजभवन में दस्तक दी और इसे स्वीकार करने का आग्रह किया। राजभवन ने वाकायदा पत्र लिखकर सरकार से पूछा कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कारवाई करने जा रही है और राजभवन के इस सवाल का मुख्यमन्त्री ने सार्वजनिक ब्यान देकर जबाव दिया कि सरकार की कारवाई करने की कोई मंशा नही है। मुख्यमन्त्री के इस ब्यान के बाद राजभवन ने इस संशोधन पर अपनी मोहर लगा दी है और अवैधता को नियमित करने का यह एक्ट लागू हो गया है।

इसी तर्ज पर अब वीरभद्र सरकार अवैध जमीन कब्जों को नियमित करने के लिये उच्च न्यायालय के समक्ष एक पालिसी रखने जा रही है। स्मरणीय है कि प्रदेश में सरकारी भूमि पर लाखों की संख्या में अवैध कब्जे है। प्रदेश उच्च न्यायालय इन अवैध कब्जों का कड़ा संज्ञान लेकर इनको हटाने के कई आदेश पारित कर चुका है। अपने आदेशों पर अमल सुनिश्चित करने के लिये उच्च न्यायालय संबद्ध शीर्ष अधिकारियों की जिम्मेदारी भी लगा चुका है। इन आदेशों पर आंशिक रूप से अमल भी हुआ है। लेकिन उच्च न्यायालय की गयी कारवाई की रफ्तार से संतुष्ट नही था। इस लिये अपने अन्तिम निर्देशों में उच्च न्यायालय ने राज्य प्रशासन के साथ ही भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी निर्देश जारी किये थे कि अवैध कब्जों के मामलों में ईडी मनीलॉडरिग प्रावधानों के तहत कारवाई करे। राज्य के वन विभाग को भी निर्देश दिये थे कि वह इन मामलों से जुड़ा सारा रिकार्ड तुरन्त प्रभाव से ईडी को भेजे। अदालत के इन निर्देशों पर सचिव वन की ओर से विभाग को दो बार पत्र भेज कर यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इन मामलों से जुडे रिकार्ड को भेजा जाये। सचिव वन के पत्र के बाद विभाग ने भी इस पर अपली कारवाई डालते हुए नीचे जिला स्तर पर पत्र भेज दिया है। लेकिन इस पर व्यवहारिक रूप से क्या कारवाई हुई है। इसपर विभाग पूरी तरह खामोश है।

स्मरणीय है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने के लिये वर्ष 2002 में तत्कालीन धूमल सरकार ने एक योजना बनाई थी। इस पर तत्कालीन राजस्व मन्त्री ने योजना बनाकर प्रदेश के लोगों से आग्रह किया था कि वह स्वेच्छा से शपथपत्र देकर अपने-अपने अवैध कब्जों की सरकार को जानकरी दे। सरकार के इस आग्रह पर करीब पौने दो लाख लोगों ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे स्वीकारे थे। लेकिन उसी दौरान इस योजना को प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी इस पर उच्च न्यायालय ने इन मामलों में सरकार के स्तर पर अन्तिम फैसला लेने से अदालत का फैसला आने तक रोक लगा दी। तब से यह मामला अदालत में लंबित चल रहा है। लेकिन इसी बीच अवैध कटान और अवैध कब्जों को लेकर कई और मामले अदालत के सामने आ गये। इन अदालत ने सरकार से वन भूमि और दूसरी सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जो की अलग-अलग जानकारी मांगी। इस पर जो जानकरी अदालत में आयी है उसमें वन भूमि पर ही हजारों में अवैध कब्जे सामने आये है। इसके बाद दस बीघे या इससे अधिक की भूमि पर कब्जों की सूची मांगी गयी। इसमें भी हजारों की संख्या सामने आयी है। वनभूमि पर सबसे अधिक अवैध कब्जे शिमला के रोहडू में सामने आये है। प्रदेश के राजस्व की जानकारी रखने वालों के मुताबिक यहां पर अधिकांश में खाली जमीन पर वन भूमि का इन्दराज है। लगभग 90% खाली जमीन पर फॉरेस्ट का इन्दराज है। इसी कारण विकास भूमि के हर कार्य के लिये केन्द्र सरकार के वन मन्त्रालय से पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता रहती है और आज सैंकडो ऐसे मामले केन्द्र के पास लंबित पड़े है।

अदालत के निर्देशानुसार अब इन अवैध को लेकर देर-सवेर कारवाई करनी ही पड़ेगी की स्थिति बन गयी है। वन भूमि पर कोई भी फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार को नही और अधिकांश अवैध कब्जे वनभूमि पर है। वीरभद्र सरकार को लेकर आम आदमी में यह धारणा बन चुकी है कि यह सरकार हर अवैधता को नियमित करने के लिये हर समय तैयार रहती है। इसी धारणा के तहत राजस्व मन्त्री कौल सिंह की अध्यक्षता में अवैध कब्जों को लेकर नीति बनाने के लिये कमेटी गठित की गयी है। लेकिन अब यह मामला उच्च न्यायालय के भी संज्ञान में है और वनभूमि को लेकर केन्द्र सरकार भी बीच में आयेगी। ऐसे में क्या वीरभद्र सरकार इस अवैधता को भी नियमित करने का जोखिम उठा पायेगी?

1.76 करोड़ की संपति बेचने के बावजूद विधायक वर्मा ने अदा नही किया प्रापर्टी टैक्स

शिमला/बलदेव शर्मा

चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा के खिलाफ नगर निगम शिमला द्वारा जारी किये प्रापर्टी टैक्स के नोटिस आने वाले

विधानसभा चुनावों में एक बडा मुद्दा बन सकते है। स्मरणीय है कि बलवीर वर्मा 2012 में निर्दलीय रूप से चुनाव जीत कर आये थे और फिर कांग्रेस के सहायक सदस्य बन गये थे। इसके लिये उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के पास दल बदल कानून के तहत भाजपा की याचिका भी लंबित है। इसमें वर्मा के साथ कुछ और निर्दलीय विधायक भी शामिल है। इस याचिका पर फैसला कब आता है इसको लेकर भी राजनीतिक हल्कों में कई चर्चाएं है। लेंकिन वर्मा के मामले में सबसे गंभीर मुद्दा यह खड़ा हो गया है। कि नगर निगम शिमला 2015 से लगातार उन्हें प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने के नोटिस भेज रहा है। बल्कि टैक्स न चुकाने पर धारा 124 के तहत संपत्ति अटैच करने की कारवाई अमल में लाने की बात कही गयी है। वर्मा से निगम ने 45 लाख की वसूली करनी है वर्मा की गिनती बडे बिल्डरों में की जाती है। वीरभद्र परिवार के साथ उनके रिश्ते राजनीतिक हल्कों में चर्चा का विषय भी बने हुए है। बल्कि यह माना जा रहा है कि नगर निगम भी इन्ही रिश्तो के कारण नोटिस देने से आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

इसमें सबसे रोचक तो यह है कि वर्मा ने टैक्स अदायगी में निगम को करीब 20लाख के चार अलग-अलग चैक भी जारी किये थे लेकिन निगम के सूत्रों के मुताबिक यह चैक बाऊंस हो गये हैं परन्तु इसके बाद भी निगम अगली कारवाई करने का साहस नही कर पा रहा है। यह भुगतान न होने के कारण वर्मा की विित्तय स्थिति और उनकी नीयत को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गये है। क्योंकि वर्मा ने 2016 में ही शिमला में 1.76 करोड़ में चार संपत्तियां बेची है। 11.5.2016 को रजि., संख्या 274 के तहत कुसुम्पटी कोठी में एक जीतेन्द्र पाल को 157.99 वर्ग मीटर संपत्ति 40 लाख में 17.5.2016 को रजि. संख्या 304 के तहत चंचलपाल को 33 लाख में 1.6.2016 को रजि. संख्या 352 के तहत गाजियाबाद की वन्दना सोनी को 33 लाख और 12.7.2016 को रजि. संख्या 463 के तहत रीना बन्याल को कुसुम्पटी में 70 लाख की संपत्तियां बेची है। संपत्तियों की इस बेच के बाद ही 5. 11.2016 को नगर निगम ने विधायक को अन्तिम नोटिस भेजा है। लेकिन इस नोटिस के बाद भी टैक्स का भुगतान न हो पाने को लेकर कई तरह की चर्चाओं की उठना स्वाभाविक है।

स्मरणीय है कि इस बार भी वर्मा को चौपाल से सशक्त उम्मीदवार माना जा रहा है। मुख्यमन्त्री का कांग्रेस टिकट के लिये उनकी ओर झुकाव माना जा रहा है। ऐसे में उनके राजनीतिक विरोधी उनकी स्थिति को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का पूरा - पूरा प्रयास करेंगे यह तय है। ऐसी स्थिति में वीरभद्र भी टिकट के लिये उनकी वकालत कैसे कर पाते है। इसको लेकर भी सवाल

11/3/2016

Property Tax

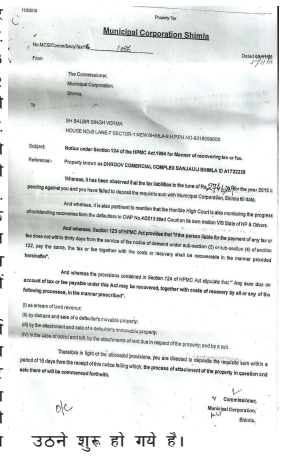

Municipal Corporation Shimla

No.MCS/Comm/SecyTax/16- 1086

From Dated 03/11/16 5/11/16

The Commissioner,
Municipal Corporation,
Shimla.

To

SH BALBIR SINGH VERMA
HOUSE NO-B LANE-7 SECTOR-1 NEW SHIMLA-9,H.P.PH.NO-9318099000

Subject: Notice under Section 124 of the HPMC Act.1994 for Manner of recovering tax or fee.

Reference:- Property known as DHROOV COMERCIAL COMPLEX SANJAULI SHIMLA ID A1732238

Whereas, it has been observed that the tax liabilities to the tune of Rs. 274629 for the year 2016 is pending against you and you have failed to deposit the requisite sum with Municipal Corporation, Shimla till date.

And whereas, it is also pertinent to mention that the Hon'ble High Court is also monitoring the progress of outstanding recoveries form the defaulters in CWP No.4/2013 titled Court on its own motion V/S State of HP & Others.

And whereas, Section 123 of HPMC Act provides that "if the person liable for the payment of any tax or fee does not within thirty days from the service of the notice of demand under sub-section (2) or sub-section (4) of section 122, pay the same, the tax or fee together with the costs or recovery shall be recoverable in the manner provided hereinafter".

And whereas the provisions contained in Section-124 of HPMC Act stipulate that " Any sum due on account of tax or fee payable under this Act may be recovered, together with costs of recovery by all or any of the following processes, in the manner prescribed".

(I) as arrears of land revenur;
(II) by distraint and sale of a defaulter's movable property;
(III) by the attachment and sale of a defaulter's immovable property;
(IV) in the case of octroi and toll, by the attachments of rent due in respect of the property; and by a suit.

Therefore in light of the aforesaid provisions, you are directed to deposite the requisite sum within a period of 15 days from the receipt of this notice failing which, the process of attachment of the property in question and sale there of will be commenced forthwith.

o/c

Commissioner,
Municipal Corporation,
Shimla.

उठने शुरू हो गये है।

राजभवन में हुआ 'ऐट होम' का आयोजन

शिमला/जे पी भारद्वाज

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन

में 'ऐट होम' का आयोजन किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि देश उन स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीर सिपाहियों का ऋणी है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और समर्पण की भावना से देश की सेवा करना हम सबका दायित्व है।

राज्यपाल ने सभी लोगों का आह्वान किया की प्रदेश व देश के विकास तथा एक स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एकजुटता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का यह उत्तरदायित्व है कि देश व समाज की बेहतरी के लिए अपना भरपूर योगदान दे।

राज भवन के दरबार हॉल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जगत वर्मा ने देश भक्ति के गीत प्रस्तुत किए।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, मुख्य संसदीय सचिव, आरट्रैक शिमला के जी.ओ.सी.-इन-सी लै, जनरल डी.आर सोनी, हि.प्र. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विधायकगण, मुख्य सचिव वी.सी. फारका, पुलिस महानिदेशक संजय कुमार, प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ए.डी.एन. बाजपेयी, स्वतंत्रता सेनानी, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, प्रदेश सरकार और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा शहर के गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किया कुनिहार में महाराजा पदम सिंह मेमोरियल का लोकार्पण

शिमला/भारती शर्मा

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन जिला के कुनिहार में पूर्व मंत्री हरिदास ठाकुर की 33वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने महाराजा पदम सिंह मेमोरियल स्टेडियम का लोकार्पण और बुशैहर रियासत के पूर्व शासक स्वर्गीय महाराजा पदम सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण किया। यह प्रदेश में अपनी तरह की पहली प्रतिमा है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कुनिहार में नवनिर्मित खेल स्टेडियम का लोकार्पण करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए कुनिहार को उप-तहसील बनाने, घुनागुघाट तथा मांजु में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की भी घोषणा की।

उन्होंने क्षेत्र के कांग्रेस नेता राजेन्द्र ठाकुर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे हमेशा ही विकास कार्यों के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ठाकुर तथा इनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों के प्रयासों की बदोलत ही पिछले 20 सालों से सूखे पड़े तालाब को सुन्दर स्टेडियम में परिवर्तित किया गया है। उन्होंने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों व सड़कों के निर्माण पर 67 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने इन विकास कार्यों को संबंधित विभागों को मार्च, 2017 तक पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि षड़यंत्रों में लिप्त लोग कभी सफल नहीं होते हैं और अंत में हमेशा सच्चाई की जीत होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग मेहनती है और साजिशों के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं और इन्हीं के कठिन परिश्रमों की बदोलत विकास का लक्ष्य प्राप्त हो सका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आज देशभर में अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में आता है। प्रदेश के गठन के समय राज्यों में 283 किलोमीटर सड़कें थी, जो आज बढ़कर 37 हजार किलोमीटर से अधिक हो गई है। प्रदेश ने शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क व अन्य सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि गत चार वर्षो के दौरान प्रदेश में 1329 नई पाठशालाएं खोली व स्तरोन्नत की गई और 42 नए महाविद्यालय प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में खोले गए। आज प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 116 हो गई है और प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों को उनके घर के नजदीक उच्च शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में खोले गए कॉलेजों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या अधिक होने पर उन्हें खुशी होती है।

उन्होंने कहा कि हमें समय-समय पर प्रदेश व केन्द्र में रही कांग्रेस सरकारों पर गर्व है, जिन्होंने प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर किया। प्रदेश में विकास की लौ जलाने वालों को याद न करना अन्याय होगा।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि कोई भी देश अपने अतीत को अनदेखा कर आगे नहीं बढ़ सकता है। अतीत से सीख कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म और हिन्दुत्व के नाम पर जनता को विभाजित करने का गलत प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हमें धर्म के नाम पर विभाजित करने के बजाए सभी धर्मो का सम्मान करना चाहिए।

उन्होंने इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर 15 हजार रुपये की राशि प्रदान करने की भी घोषणा की।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने 34 लाख रुपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (कन्या) के अतिरिक्त खण्ड का भी शुभारंभ किया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने नेताओं, जिनमें वे स्वयं शामिल है, को सलाह दी कि विकास कार्य के लिए सभी मिल-जुल कर कार्य करे। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षो से सूखे पड़े तालाब की जगह पर अब स्टेडियम का निर्माण किया गया है। उन्होंने लोगों से समाज में आ रहे बदलाव को स्वीकार करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं और स्कूली विद्यार्थियों के कौशल में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि हमें केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी सोच बदल कर परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए। विकास कार्यो के लिए सबको मिल-जुल कर आगे आना चाहिए।

पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य व कुनिहार के पूर्व प्रधान राजेन्द्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री से अर्की विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह अर्की विधानसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों की आम राय है और वे वीरभद्र सिंह को आगामी विधानसभा चुनाव में अर्की से कांग्रेस का उम्मीदवार देखना चाहते हैं।

उन्होंने अर्की, कुनिहार में कांग्रेस के लोगों से एकजुट होने का आग्रह किया तथा कहा कि पार्टी की सुदृढ़ता तथा क्षेत्र के विकास के लिए निजी हितों को छोड़कर सभी को एकत्रित होना होगा। उन्होंने मांजु पंचायत के पलोग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का आग्रह किया।

इससे पूर्व, ग्राम पंचायत कुनिहार के प्रधान अरूण ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

अवैध कब्जों पर उच्च न्यायालय को अंतरिम नीति सौंपेगी प्रदेश सरकार

शिमला/जे पी भारद्वाज

प्रदेश सरकार छोटे व मंझोले किसानों और समाज के गरीब वर्गों, जिन्होंने सरकारी भूमि पर नाजायज

कब्जे किए है, को राहत दिलाने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के समक्ष अंतरिम नीति प्रस्तुत करेगी। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों की भी जांच की जाएगी, ताकि स्थाई हिमाचली वन वासियों को चिन्हित कर उनके अधिकारों को निर्धारित किया जा सके।

यह जानकारी राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के विरूद्ध है। लेकिन किसी विवशता के कारण जिन छोटे व मंझोले किसानों ने सरकारी भूमि पर भवनों का निर्माण अथवा कब्जे किए हैं, उनको राहत देना चाहती है। मानवीय आधार पर प्रदेश विधानसभा में अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है, परन्तु उच्च न्यायालय ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए विभिन्न आदेश दिए हैं। प्रदेश सरकार शीघ्र ही उच्च न्यायालय के समक्ष कानून के निर्धारित मापदंडों के आधार पर नीति बनाकर प्रस्तुत करेगी, ताकि प्रदेश के छोटे व मंझोले किसानों व गरीब लोगों को राहत दिलाई जा सके।

कौल सिंह ठाकुर ने 7 फरवरी, 2017 को निर्धारित अगली बैठक तक समिति के सदस्यों को नीति व योजना का प्रारूप प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। कानून की व्यवस्था बनाए रखने के प्रति प्रदेश सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि बड़े व प्रभावशाली अवैध कब्जाधारकों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।

उच्च स्तरीय समिति के सदस्य वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, आयुर्वेद मंत्री कर्ण सिंह, हि.प्र. विधानसभा के उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर व नंद लाल, विधायक मोहन लाल बराकटा, अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण श्रीधर, प्रधान सचिव आर.डी. धीमान, सचिव मोहन चौहान, कानून सचिव डॉ. बलदेव सिंह और विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

विधायकों की पूर्व प्राथमिकताएं ही नहीं हुई पूरी-बैठक में हुआ खुलासा

शिमला/भारती शर्मा

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में वार्षिक बजट 2017-18 में विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए बैठकों का आयोजन 30 व

31 जनवरी, 2017 को हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला में आमर्जडेल भवन के कांफ्रेस हॉल में किया जाएगा।

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि विधायकों की प्राथमिकताओं पर बैठक में विचार किया जाएगा ताकि उन्हें आगामी बजट में शामिल किया जा सके।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा, लाहौल व स्पीति तथा किन्नौर जिला के विधायकों की बैठक 31 जनवरी 2017 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक की जाएगी जबकि चंबा, ऊना और हमीरपुर जिलों के विधायकों की बैठक इसी दिन दोपहर बाद 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे की जाएगी।

उन्होंने कहा कि विधायकों से उनके निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित मुख्य विकास शीर्षों सड़कें एवं पुल, लघु सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित प्राथमिकताएं आमंत्रित की गई हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों से लिए मितव्ययता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने किया भारतीय सेना शाखा के 'हॉल ऑफ फेम' का शुभारम्भ

शिमला/जे पी भारद्वाज

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राज्य संग्रहालय में भारतीय सेना शाखा के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संग्रहालय में भारतीय सेना की समृद्ध धरोहर को प्रदर्शित करने के प्रयासों की सराहना की जिसमें शहीदों को समर्पित 'हॉल ऑफ फेम' भी शामिल है।

'हॉल ऑफ फेम' में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के छायाचित्र शामिल किए गए हैं। इसके अलावा परमवीर चक्र विजेताओं और अन्य शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वालों के नाम भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। 'हॉल ऑफ फेम' के माध्यम से भारतीय सेना की वीरता को दर्शाया गया है और यह वर्ष 1948, 1962, 1965 और अन्य युद्धों को समर्पित है जिसमें इन युद्धों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इसमें भारतीय सेना के उद्भव के साथ-साथ शिमला में सेना की धरोहर से सम्बन्धित सभी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार धर्मशालामें युद्ध संग्रहालय स्थापित कर रही है। उन्होने भारतीय सेना के सैनिकों विशेषकर हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित सैनिकों की वीर-गाथाओं को इसमें प्रदर्शित करने के लिए सेना की अन्य शाखाओं से सहयोग का आहवान किया जिन्होंने विभिन्न युद्धों में राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में स्थापित किए जा रहे संग्राहलय में भारतीय सेना में सेवाएं देने वाले सभी शहीदों का नाम शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शिमला में सेना की शाखा के संग्राहलय का प्रमुख उददेश्य भारतीय सेना के साथ हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक सम्बन्ध को दर्शाना है ताकि प्रदेश के युवाओं को मातृ भूमि की सेवा के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने भारतीय सेना के अदम्य साहस, दृढ़ता और समर्पण को नमन किया।

इससे पूर्व आरट्रेक के जी.ओ.सी. -इन-सी. ले. जनरल डा. सोनी ने संग्राहलय के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी और इसमें 'हॉल ऑफ फेम' की स्थापना के उददेश्यों से भी अवगत करवाया।

ले. जनरल रमन धवन, मेजर जनरल संजीव नारायण, पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह और सेना के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

संसद से नदारद लोग कैसे करेंगे पंजाब के हितों की रक्षा:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश: सांसद अनुराग ठाकुर ने पंजाब के मुकेरिया में भाजपा-अकाली दल प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया।

उन्होंने कहा कि संसद में कैप्टेन अमरिंदर सिंह की उपस्थिति मात्र 6 प्रतिशत रही है वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली छोड़ कर पंजाब और गोवा में अपने पार्टी के प्रचार में लगे है और दिल्ली की सूद लेनेवा लाकोईन हीं बचा है। अगर उन्हें सत्ता दी गयी थी कल वो पंजाब छोड़, जिस राज्य में चुनाव है वहां चले जायेंगे।

इसके उलट पिछले 10 सालों में पंजाब में भाजपा-अकाली दल की सरकार ने अताह विकास किया है। भटिंडा में नए एयरपोर्ट का निर्माण तथा आदमपुर में नए एयरपोर्ट बनाने की अनुमति इसके उदारहण है जिससे पंजाब के पर्यटन तथा उद्योग के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किये है। भाजपा और अकाली दल की सरकार अगले पांच सालों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का प्रयास करेगी। हर परिवार के पास अपना घर होगा और हर दलित और बीपीएल परिवारों को 8 कनाल के प्लाट उपलब्ध कराये जायेंगे। किसानो का कर्ज माफ किया जायेगा और उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड दिए जायेंगे।

नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटिंडा में नए एम्स की नीव रखी है जिसके 2020 तकपूर्ण होने की उम्मीद है।

1500 करोड़ की मध्य हिमालय जलागम परियोजना के दूसरे चरण का प्रस्ताव केन्द्र को प्रेषित

शिमला/शैल। वन मन्त्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने हिमाचल दिवस के अवसर पर बताया कि 1500 करोड़ रूपये की लागत का मध्य हिमालय जलागम परियोजना के द्वितीय चरण का प्रस्ताव हिमाचल सरकार के माध्यम से कृषि मन्त्रालय भारत सरकार को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण में कुल 1500 करोड़ रू0 की लागत से यह परियोजना प्रदेश की 900 पंचायतों को लाभान्वित करेगीं, जिसे 2017-18 से सात वर्ष के लिए लागू किया जाना प्रस्तावित है। वनमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालय जलागम परियोजना प्रथम चरण की तर्ज पर ही कियान्वित किया जायेगा।

वन मंत्री ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अथक प्रयासों से वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालय जलागम परियोजना प्रदेश के दस जिलों में प्रारम्भ की गई, जिसे प्रारम्भ में 42 ब्लाकों की 602 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया तथा बाद में 3 ब्लाकों की 102 ग्राम पंचायतों को हमारी सरकार ने इस परियोजना के तहत लाया और अब इस परियोजना द्वारा कुल 45 ब्लाकों की 710 पंचायतें लाभान्वित हो रही हैं।

माननीय वनमंत्री ने यह भी बताया कि इस परियोजना के प्रथम चरण में बहुत अच्छे परिणाम आये हैं, जिससे ग्रामीण जनता को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के प्रथम चरण में ग्रामीण लोगों व बेरोजगार युवाओं को जीविका अर्जित करने वाले 32 क्षेत्रो में प्रशिक्षण तथा कियान्वयन में सहायता दी गई जिसमें 5090 समूह लाभान्वित हुए तथा इन कार्यो से समूहों को 33.83 करोड रू0 की आय अर्जित हुई।

वनमंत्री ने यह भी कहा कि इस परियोजना द्वारा वानिकी कार्यो को भी बढ़ावा दिया गया तथा 15,688 है। भूमि में पौधारोपण के कार्यो के अतिरिक्त 7897 है। भूमि से लौटांना मुक्त कर घासपत्ती द्वारा पुन: स्थापित किया गया। भरमौरी ने यह भी बताया कि इस परियोजना द्वारा बायो-कार्बन उप-परियोजना भी कियान्वित की गई जो अपनी तरह की एशिया की प्रथम परियोजना है, जिसमें 140 ग्राम पंचायतों में 3216 है। भूमि में कार्बन बढाने हेतु कार्य किए गए। माननीय मंत्री ने कहा कि इन कार्यो के परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 में 1 करोड़ 93 लाख रू0 भी अर्जित किए गये जिससे 4359 लोगों, जिनमें 33 प्रतिशत महिलाएं शामिल है, लाभान्वित हुई।

8 फरवरी को होगा स्वतंत्रता सेनानियों का कार्यक्रम

शिमला/भारती शर्मा

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी में 8 फरवरी, 2017 को दोपहर 12 बजे आयोजित होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रदेश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों तथा दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नियों को निमंत्रण संबंधित जिलाधीश कार्यालयों के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। यदि किसी कारणवश किसी स्वतंत्रता सेनानी तथा दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी की पत्नियों/अविवाहित पुत्रियों को यह निमंत्रण पत्र प्राप्त न हुआ हो तो उनसे अनुरोध है कि वे इस सम्मेलन में अवश्य भाग लेने की कृपा करें।

सभी स्वतंत्रता सेनानियों तथा दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नियों/अविवाहित पुत्रियों का स्वागत 'मुख्य बस स्टैंड' ज्वालामुखी में किया जाएगा। बस से उतरने पर सभी स्वतंत्रता सेनानी व दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी की पत्नियां/अविवाहित पुत्रियां कृपया नियंत्रण कक्ष में सम्पर्क स्थापित करें, जहां उनकी हर प्रकार से देखभाल की जाएगी।

चूड़ेश्वर सेवा समिति का कलेण्डर जारी

शिमला/जे पी भारद्वाज

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने चुड़ेश्वर सेवा समिति द्वारा प्रकाशित कलेण्डर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिनेश मल्होत्रा तथा बीर सिंह राणा को चूड़धार मंदिर परिसर के निर्माण में उन द्वारा दिए गए सराहनीय योगदान देने के लिए सम्मानित किया। दिनेश मल्होत्रा ने जब वे शिमला जिला के उपायुक्त थे, तो चूड़धार मंदिर परिसर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

समिति के अध्यक्ष बलदेव चौहान ने मुख्यमंत्री को बताया कि दिनेश मल्होत्रा ने शिमला जिला के उपायुक्त पद पर तैनाती के दौरान मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण व श्रद्धालुओं को सुविधाएं सृजित करने तथा बीर सिंह राणा ने मंदिर में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुख्य संसदीय सचिव विनय कुमार, संसाधन मोबिलाईजेशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन चौहान, योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष जी.आर. मुसाफिर, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं विपणन बोर्ड के अध्यक्ष सुभाष मंगलेट, चूड़धार सेवा समिति के महासचिव बलदेव चौहान, नारायण सिंह चौहान, उपाध्यक्ष रमेश शर्मा व रत्ती राम, अन्य सदस्य तुलसी राम चौहान, इन्द्र प्रकाश, दर्शन सिंह पुंडिर, जगदीश चौहान, विनय कुमार गुप्ता, रोशन शर्मा तथा अनिता शर्मा व अन्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

संस्कृत कॉलेज के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश

शिमला/रीना

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने फागली में संस्कृत कॉलेज, जिसके निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपये आंबटित किए गए है, को शीघ्र पूर्ण करने पर बल दिया तथा पौराणिक संस्कृत पांडुलिपियों के हिन्दी में अनुवाद करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सुझाव दिया कि मंदिर के पुजारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, ताकि वे पौराणिक वैदिक साहित्य तथा प्रणाली के अनुसार पूजा-पाठ तथा अन्य धार्मिक समारोह आयोजित कर सके।

सुझावों के अनुसार कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत मंदिर के पुजारियों के लिए शिविर आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि वे मंत्रों तथा श्लोकों के उचित उच्चारण का प्रशिक्षण हासिल कर सके।

वीरभद्र सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सोलहमील के समीप मरावग में संस्कृत अकादमी के निर्माण के लिए वन स्वीकृति प्रक्रिया को तीव्र करने को कहा। उन्होंने कहा कि संस्कृत कॉलेज के खोलने की मांग पर उपयुक्त भूमि की उपलब्धता जांचने के बाद विचार किया जाएगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संस्कृत साहित्यकारों को अनुसंधान पत्र प्रस्तुत करने के लिए 700 रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अकादमी की वार्षिक पत्रिका का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने संस्कृत भाषा के प्रचार पर बल दिया तथा भाषा में लोगों की रूचि बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा।

इससे पूर्व, हिमाचल संस्कृत अकादमी के सचिव डॉ. मस्तराम शर्मा ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत तथा सम्मान किया तथा उन्हें अकादमी की गतिविधियों के बारे जानकारी दी।

डा. मदन मोहन शर्मा, आचार्य केशव शर्मा, आचार्य बाली राम शर्मा, प्रो. कौशल्या देवी, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बालदी, शिक्षा प्रधान सचिव आरडी धीमान, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बृज बिंटा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए। जब विश्वास अँधा हो जाता है तो मर जाता है.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

चुनाव सुधारों को टालना घातक होगा

अभी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन राज्यों में इस समय उत्तराखण्ड में कांग्रेस, पंजाब में अकाली -भाजपा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में है। इन चुनावों में यह सभी दल फिर से चुनाव मैदान में कहीं सीधे तो कहीं गठबन्धन की शक्ल मे इनके अतिरिक्त बसपा और ''आप'' भी चुनाव में है। बसपा यूपी में पहले भी सरकार चला चुकी है और आप दिल्ली में सरकार चला रही है। भाजपा के पास इस समय केन्द्र सरकार है तो कांग्रेस के पास इससे पहले रह चुकी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी दलों को सरकार चलाने का अनुभव है और सभी को सरकारों की वित्तिय स्थिति तथा जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं का भी ज्ञान है। इसी के साथ यह भी एक सच है कि सभी राज्य सरकारें कर्ज के बोझ तले भी है और यह कर्ज हर वर्ष घटने की बजाये बढ़ता ही जा रहा है सभी को राज्यों के संसाधनों का भी पता है। लेकिन आज यदि इन सभी दलों के वर्तमान और पूर्व के चुनाव घोषणा पत्रों का एक निष्पक्ष आकलन किया जाये तो जो तस्वीर उभरती है वह एकदम चिन्ताजनक और निराशाजनक दिखती है। क्योंकि किसी के भी घोषणापत्र में संसाधनों का जिक्र नही है। किसी ने भी संबंधित राज्य की आर्थिक और वित्तिय स्थिति का कोई उल्लेख नही किया है। सभी ने जनता को अधिक से अधिक मुफ्त लाभ देने का वायदा किया है बल्कि इन घोषणापत्रों को देखकर तो यह सवाल भी उठता है कि जो वायदे इस बार किये जा रहे है क्या जनता की यह आवश्यकताएं अभी पैदा हुई है? जब यह दल सरकार चला रहे थे क्या तब जनता को इस सबकी आवश्यकता नही थी? कुल मिलाकर सभी दलों के घोषणपत्रों को प्रलोभनों का पिटारा और मतदाताओं को खरीदने का प्रयास करार दिया जा सकता हैं। कहीं भी यह नही बताया गया है कि इन वायदों को पूरा करने के लिये साधन कहां से आयेंगे? यह वायदा नहीं किया गया है कि जनता पर परोक्ष/अपरोक्ष में कोई नया टैक्स नही लगाया जायेगा और न ही सरकार पर कर्ज का बोझ डाला जायेगा। यदि ईमानदारी से आंकलन किया जाये तो सभी के घोषणपत्र आचार संहिता का उल्लघंन करार दिये जा सकते हैं।

लेकिन हमारा चुनाव आयोग इस बुनियादी पक्ष की ओर एकदम आंख बन्द करके बैठा हुआ है। हर बार चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी जाती है और इसमें भी राजनीतिक दलों पर तो कोई सीमा है ही नही। राजनीतिक दलों की आय के स्त्रोत कितने वैध हैं और कितने अवैध इसका खुलासा सामने आ चुका है। राजनीतिक दलों की 69% आय अज्ञात स्त्रोतों से है जिसे सीधे-सीधे अवैध करार दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास इतनी आय अज्ञात स्त्रोतों से हो तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला बन जाता है और सज़ा मिलती है। लेकिन राजनीतिक दलों को लेकर न्यायपालिका और चुनाव आयोग दोनों ही एकदम पंगु होकर बैठे हुए है। क्योंकि यह घोषणापत्र जनता का ऐजैन्डा न होकर इन दलों की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने का ऐजैन्डा होकर रह गये हैं। गरीबों को कुछ चीजे सस्ते में या मुफ्त उपलब्ध करवा कर एक निश्चित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का प्रयास करना स्वस्थ लोकतन्त्र का मानक नही माना जा सकता। चुनावों की यह वर्तमान व्यवस्था धीरे - धीरे अपराधियों, धनबलियों और बाहुबलियों को शासन के शीर्ष पर बैठाने का साधन होकर रह गयी है। आज राजनीतिक दल पेशेवर चुनाव प्रबन्धकों और प्रचारकों के रोजगार का एक बड़ा स्त्रोत बन कर रह गये है। राजनीतिक दल कारपोरेट संस्कृति का पर्याय बनकर रह गये हैं। कोई भी दल राजनीति में बढते अपराधीकरण को लेकर अपने घोषणापत्रों में एक शब्द तक नही कह पाया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आज राजनीतिक दलों का एक मात्र सरोकार सत्ता में बने रहने के अतिरिक्त और कुछ नही रह गया है। ऐसे में यह सोचना पड़ेगा कि यदि ही चुनावी व्यवस्था चलता रही तो निकट भविष्य में स्थितियां कहां से कहां पहुंच जायेगी।

इस परिदृश्य में यह आवश्यक हो जाता है। कि समय रहते ही चुनावी व्यवस्था और इससे वाच्छित सुधारों को लेकर एक सर्वजनिक बहस शुरू की जाये। राजनीतिक दलों और जनता के बीच एक सशक्त संवाद कैसे स्थापित हो सकता है। इसके लिये कौन सा मंच कारगर हो सकता है? इस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। चुनाव को धनबल और बाहुबल से कैसे मुक्त रखा जाये? क्योंकि इस वक्त जिस तरह का चुनाव प्रचार किया जा रहा है उसमें तो जनता को सोचने विचारने का समय ही नहीं मिल पाता है। आज की व्यवस्था में राजनीतिक दल और राजनेता को सुनने की व्यवस्था तो है। परन्तु उसे सुनाने और उससे पूछने की कोई तय व्यवस्था नही है। आज मॉडल आचार संहिता तो है परन्तु उसकी अवहेलना पर दण्डनीय अपराध दर्ज हो पाने का प्रावधान नही है इस पर केवल चुनाव परिणाम के बाद चुनाव याचिका दायर करने का ही प्रावधान है। इसलिये आज आवश्वकता है कि जनता और रानीतिक दल तथा राजनेता के बीच अधिकाधिक संवाद की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। क्योंकि सैद्धान्तिक रूप से तो चुनाव प्रचार का अर्थ ही मतदाताओं के साथ सार्थक संवाद की स्थापना है और यह संवाद लगभग बिना किसी बड़े खर्च से स्थापित किया जा सकता है। इसके लिये सरकार, चुनाव आयोग और न्यायपालिका तीनों को अपने- अपने स्तर पर प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि समय रहते यह न हो पाया तो बहुत संभव है कि जनता स्वयं को ऐसा कुछ करने पर आ जाये जो अराजकता की सीमा तक जा पहुंचें।

डिजिटल भुगतान

''सरिता बरारा''

''यह कोई बड़ी राशि नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उपयोगी हो सकती है'' यह कहना है उत्तर प्रदेश में गोंडा स्थित एक सरकारी स्कूल के टीचर मुकेश कुमार वर्मा का, जिन्हें एसएमएस से सूचना मिली कि उन्होंने लकी ग्राहक योजना के तहत 1000 रुपये का पुरस्कार जीता है। वर्तमान में सभी तरह का लेन देन डिजिटल माध्यम से कर रहे मुकेश बताते हैं, ''अन्य लाभों के अलावा यह निश्चित रूप से कैश लेन-देन की तुलना में बेहतर है।''

एक और लकी ड्रा विजेता सतीश कुमार एक छात्र हैं और इस समय दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सतीश कुमार बताते हैं कि डिजिटल मोड से भुगतान करने से काले धन को समाप्त करने में मदद मिलेगी जिस पर प्रधानमंत्री भी जोर दे रहे हैं। सतीश कुमार उत्तर प्रदेश के संत रविदास नगर जिले के भदोही स्थित सरवटखनी गांव में रहते हैं। सतीश एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, डिजिटलीकरण की तारीफ करते हुए सतीश कहते हैं कि डिजिटल पेमेंट करना बहुत ही आसान है। एक किसान के बेटे सतीश कुमार का कहना है, ''जब बीज और अन्य कृषि आदानों को खरीदने के लिए जाते हैं, तो साथ में नकदी ले जाना हमेशा जोखिम भरा रहता है लेकिन सरकार द्वारा अब डिजिटल पेमेंट के कई तरीके पेश किए जा रहे हैं इससे चोरी या लूट का भय ही नहीं रहेगा।''

मुकेश और सतीश कुमार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल 25 दिसंबर को शुरू की गयी लकी ग्राहक योजना तथा डिजी-धन व्यापार योजना के ग्रामीण विजेताओं में से एक हैं।

डिजिटल भुगतान के विकल्पों को बढ़ावा देना, सरकार की उस रणनीति का हिस्सा हैं जिसके तहत सार्वजनिक जीवन से काले धन और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से साफ करना है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कानून एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा, ''डिजिटल इंडिया का अर्थ ईमानदार प्रशासन, डिजिटल भुगतान का मतलब लेनदेन का एक ईमानदार माध्यम है और डिजिटल अर्थव्यवस्था का मतलब एक मजबूत अर्थव्यवस्था है।''

दो प्रोत्साहन योजनाओं के तहत, 9 नवंबर, 2016 से 14 अप्रैल 2017 के दौरान सभी प्रकार के लेनदेनों को डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले उपभोक्ता और व्यापारी लकी ड्रा में नकद पुरस्कार पाने के पात्र हैं।

भारत में डिजिटल भुगतान और लैस कैश सोसाइटी को एक जन आंदोलन बनाने के प्रयास में, 100 दिनों के भीतर देश के विभिन्न 100 शहरों में डिजी धन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल 9 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच किए गए डिजिटल भुगतान के तहत 8 करोड़ लेन-देन हुए। पहले डिजी धन मेले में चार व्यापक श्रेणियों (यूएसएसडी, यूपीआई, एईपीएस, रुपे) के तहत 15000 विजेताओं का चयन किया गया था। 100 दिनों के लिए 15000 लोगों को हर दिन पुरूस्कृत किया जाएगा और इस योजना का समापन दो प्रोत्साहन योजनाओं के साथ इस साल 14 अप्रैल को एक मेगा ड्रा के रूप में होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि रोज/साप्ताहिक पुरस्कार जीतने वाले विजेता भी 14 अप्रैल, 2017 को आयोजित होने वाले मेगा ड्रा के लिए पात्र होंगे। इसमें उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में मेगा पुरस्कार दिए जाएंगे जिसमें 1 करोड़ रुपये,50 लाख रुपये से 25 लाख रुपये शामिल हैं। व्यापारियों के लिए भी तीन मेगा पुरस्कार दिए जाएंगे जिसमें 50 लाख, 25 लाख, 12 लाख रुपये का पुरस्कार शामिल है। इन दो योजनाओं के लिए पुरस्कार राशि के रूप में 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि 40 करोड़ रुपये जागरूकता और प्रचार के लिए आवंटित किए गए हैं। इन प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कुल 18.75 लाख लोग पुरस्कार से लाभान्वित होंगे।

जागरूकता फैलाने और उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों को डिजिटल भुगतान के विकल्पों के बारे में शिक्षित करने के लिए बैंकों, वॉलेट, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं की तरह, यूआईडीएआई भी डिजीधन मेले में उपस्थित रहेगा। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक, 9 नवबंर के बाद भारत में डेढ़ महीने के दौरान डिजिटल लेनदेन की मात्र में 300 से 350 फीसदी तक वृद्धि हुई है जो लोगों के बीच उत्साह को प्रदर्शित करता है।

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2 लाख सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से एक करोड़ से अधिक ग्रामीण नागरिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की एक मिशन मोड योजना पर कार्य कर रही है। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए लिए कई कदमों को उठाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्ड और पीओएस मशीन की आपूर्ति में सुधार किया गया है।

अधिकतर किसान बीज और उर्वरक जैसी कृषि सामाग्रियों की खरीददारी नकद या उधार में करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी भी ग्रामीण इलाकों तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकी है। किसानों को कैशलेस भुगतान के लिए समर्थ बनाने की दिशा में नाबार्ड ने लेनदेन के लिए ऋण समितियों और सहकारी बैंकों से कहा है कि वे जन धन योजना के तहत सीधे बचत खाते खोले। किसान रूपे कार्ड के माध्यम से बीज, खाद और अन्य खेती के उपकरण खरीद सकते हैं। नाबार्ड को 100,000 गांवों में 200,000 पीओएस मशीनें लगाने के लिए 120 रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। इन पीओएस मशीनों को वाणिज्यिक बैंकों में लगाया जाएगा। नाबार्ड पीओएस मशीन की खरीद के लिए वाणिज्यिक बैंकों को 6,000 रुपये प्रति उपकरण प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगा।

भारत के पास अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने की विशाल क्षमता है। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली को विश्वास है कि डिजिटल इंडिया आंदोलन देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करेगा।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा है, ''यह सिर्फ कुछ समय की ही बात है, भारत विकास के युग में प्रवेश कर चुका है जो डिजिटल क्रांति है।''

राष्ट्रीय मतदाता दिवस: लोकतंत्र के लिए मजबूत प्रतिबद्धता

25 जनवरी- राष्ट्रीय मतदाता दिवस

'प्रियदर्शी दत्ता'

7वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की याद में 2011 में इसकी शुरूआत की गई थी। 25 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया था। लेकिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इतिहास को याद करने के बजाय हमें आगे की राह के बारे में तय करना होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की घोषणा मतदाताओं की संख्या मूलत: जो हाल में ही 18 वर्ष की आयु सीमा पूरी की है, को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी।

संविधान (61वां संशोधन) अधिनियम, 1988 के तहत लम्बे समय से चली आ रही जनता की मांग को पूरा करने के लिए मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इसके बाद नवंबर 1989 में संपन्न हुए 10 वें आम चुनाव में 18 वर्ष से 21 वर्ष के आयु वर्ग के 35.7 मिलियन (3.5 करोड़) मतदाताओं ने पहली बार मतदान में हिस्सा लिया था।

लेकिन मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ था। पिछले दो दशकों में उत्साहजनक परिणाम नहीं प्राप्त हुए। योग्य युवा मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की रफ्तार काफी ठंडी रही। कुछ मामलों में तो यह करीब 20 से 25 प्रतिशत ही रहा। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना अनिवार्य नहीं सिर्फ स्वैच्छिक है जिसके कारण चुनाव आयोग सिर्फ लोगों को मतदान के लिए जागरूक ही कर सकता है। लेकिन चुनाव आयोग की प्राथमिकता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। यह अपने आप में एक लंबा और चुनौतीपूर्ण काम है।

जबतक मतदाता चुनाव को एक कार्यक्रम के रूप में देखेगा तब तक यह आयोग के लिए एक लंबी प्रक्रिया ही बनी रहेगी। अधिसूचना जारी करने से लेकर परिणाम घोषित करने तक चुनाव की एक लंबी प्रक्रिया है। भारत जैसे विशाल एवं बड़ी आबादी वाले देश में चुनाव संपन्न कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। आयोग पर धन-बल और बाहु-बल से निपटने की भी जिम्मेदारी होती है।

मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए एक साफ-सुथरी एवं त्रुटि मुक्त मतदाता सूची तैयार करना (जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 11 और 62 के अनुसार) आयोग की प्राथमिकता में शामिल होता है। मतदाताओं को लामबंद करने का काम चुनाव प्रचार कर विभिन्न राजनीतिक दलों पर छोड़ दिया गया था। सभी राजनीतिक दल स्वाभाविक रूप से मतदाताओं को लुभा कर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपने सबसे उत्तम प्रयास किया। लेकिन आयोग की भी एक दायित्व एवं लोकतंत्र के प्रति जिम्मेवारी बनती है कि वो मतदाताओं को जागरूक कर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करे।

कुछ लोगों का यह मानना है कि साक्षरता में बढ़ौतरी होने से मतदान में स्वयं तेजी आ जायेगी। इस तरह की ढिलाई बरतने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पहले आम चुनाव (1951-52) में मतदान का प्रतिशत 51.15 था। इसे हम असंतोषजनक श्रेणी में नहीं रख सकते। उस समय साक्षरता करीब 17 प्रतिशत ही थी। हालांकि, जिस तरह से साक्षरता में वृद्धि हुई, उस अनुपात में मतदान में तेजी नहीं देखी गई है। 2009 के आम चुनाव में मतदान का प्रतिशत करीब 60 प्रतिशत ही रहा जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 74 प्रतिशत थी।

2009 के बाद आयोग ने मतदान बढ़ाने के लिए एक अलग तरह की भूमिका की रूपरेखा तैयार की। इसके लिए निर्वाचन आयोग के एक व्यापक 'स्वीप' (या व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन) नामक कार्यक्रम तैयार किया। 'स्वीप' के तहत निर्वाचन आयोग ने दो नारे तैयार किए पहला- 'समावेशी और गुणात्मक भागीदारी' तथा दूसरा 'किसी भी मतदाता को नहीं छोड़ा जा सकता'।

इस तरह पहली बार निर्वाचन आयोग ने 'स्वीप' के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम तैयार किया। इसके अंतर्गत व्यक्तियों या संस्थाओं सहित सभी हितधारकों को लाया गया। इसके तहत मतदाता सूची में पंजीकरण एवं मतदान में भागीदारी के अंतर पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इसमें लिंग, क्षेत्र, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, शैक्षणिक स्तर, पेशेवर प्रवास, भाषा आदि पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया। सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए वृहत रूपरेखा तैयार की गई। 'स्वीप' प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक मतदाता ही मानता है। यहां तक कि अवयस्क लड़के एवं लड़कियों को भविष्य का मतदाता मानकर अभी से ही उसके अंदर मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, इसीलिए शिक्षा संस्थानों का भी उपयोग किया गया है।

65 प्रतिशत से थोड़ा कम मतदान भारत जैसे देश के लिए असाधारण नहीं हो सकता। फिर भी, राजनीतिक विश्लेषक इसे एक स्वस्थ प्रवृत्ति के रूप में नहीं देखते हैं। मतदान का उच्च प्रतिशत जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। जबकि मतदान का निम्न प्रतिशत राजनीतिक उदासीन समाज की ओर इशारा करता है। ऐसी स्थिति का फायदा विघटनकारी तत्व उठाना चाहते हैं और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करना चाहते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को अकेले एक भव्य विचार के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। यह लगातार मतपत्र में प्रतिबिंबित हो दिखाई पड़ते रहना चाहिए, यही लोकतंत्र की मजबूती है।

2014 में संपन्न 16 वें आम चुनाव में, मतदान का प्रतिशत अब तक सबसे ज्यादा 66.38 प्रतिशत रहा। अधिकांश टिप्पणीकारों ने इसके लिए राजनीतिक कारकों को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन कुछ श्रेय निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के 'स्वीप' जागरूकता अभियान को भी दिया जाना चाहिए। इसका आने वाले चुनावों में भी परीक्षण किया जाना निश्चित है। तो अगली बार उच्च मतदान प्रतिशत का श्रेय न सिर्फ राजनीतिक कारकों बल्कि 'स्वीप' को भी मिलना चाहिए। इस तरह की व्याख्या अपने आप में जागरूकता अभियान में उत्प्रेरक की तरह कार्य कर सकती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रयासों के बीच एक महत्वपूर्ण कदम है।

बजट 1 फरवरी को पेश कर सरकार व्यय की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी

-प्रकाश चावला-

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2016-17 के बजट में व्यय के मद में 20 लाख करोड़ रुपये के करीब खर्च करने का प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कुल व्यय 22 लाख करोड़ रूपये और 23 लाख करोड़ रुपये के बीच रखा है। यह मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14 प्रतिशत है।

अतीत में बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को संसद में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन इस बार वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट वित्त मंत्री अरूण जेटली 1 फरवरी को पेश करेंगे। बिना किसी राजनीतिक बहस में गये, एक स्वतंत्र विश्लेषण द्वारा बजट प्रस्तुति को आगे बढ़ाने को रख सकते हैं जिसके फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि इससे सरकार को दो प्रमुख आयात उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

सबसे पहला और महत्वपूर्ण लक्ष्य व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाना है और इस तरह से केन्द्रीय योजनाओं और परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में निश्चित रूप से बदलाव आयेगा जब इनके लिए आवंटित राशि को संसद से मंजूरी दिलाकर संबंधित विभागों या मंत्रालयों को समय से निर्गत कर दिया जायेगा। दूसरी उपलब्धि यह है कि सरकार जीडीपी में विकास के लिए किस तरह व्यय करती है। 20 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा का सरकारी व्यय निवेश के पुनरुद्धार और उपभोक्ताओं की मांगों को बढ़ाने के लिए किए गये प्रयासों को दर्शाता है, साथ ही इससे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन में भी मदद मिली है।

प्रचलित प्रणाली के अनुसार अब तक बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के दिन लोकसभा में पेश किया जाता था और जिससे नये वित्तीय वर्ष के पहले दिन 1 अप्रैल से संचित निधि से धन की निकासी के लिए लेखानुदान संसद से प्राप्त होता था।

बजट सत्र को दो चरणों में संपन्न होता है: पहले चरण में सरकार को

निर्बाध गति से कामकाज करने के लिए लेखानुदान प्राप्त किया जाता है जबकि बजट सत्र के दूसरे चरण मई में बजट को संसद से पूर्ण मान्यता मिलती है। जबकि वित्त मंत्री के बजट भाषण में कर और गैर-कर प्रस्तावों को बजट पेश करते समय ही सरकार की प्रमुख नीति तथा दशा एवं दिशा को दर्शाता है और बजट भाषण की समाप्ति के बाद इस पर बहस होती है। बहस के बाद ही बजट प्रस्तावों में सुधार की सिफारिश की जाती है।

लेकिन समय से पूर्व कम-से-कम पहली तिमाही के लिए अंतिम परिव्यय उपलब्ध हो जाता है। दूसरी तिमाही में संबंधित विभाग और मंत्रालय बजट में घोषित परियोजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने पर काम शुरू कर देते हैं जो सरकार के लिए प्रमुख होता है। सरकारी धन को निजी व्यवसाय की तरह खर्च नहीं किया जा सकता है। इसमें तय प्रक्रियाओं का अच्छी तरह पालन किया जाता है, संसदीय समितियों के अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) और इस जैसी अन्य एजेंसियों जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समीक्षा की जाती है। नौकरशाहों को कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन में सावधानी बरतने के कारण थोड़ा विलम्ब होता है। निविदा जारी करने, सौदों को अंतिम रूप देने इत्यादि की पूरी प्रक्रिया में कुछ महीने लग सकते हैं जिससे ज्यादातर मामलों में संबंधित विभाग को ठेकेदार को आदेश निर्गत करने में तीसरी तिमाही के मध्य या अंत तक का समय लग जाता है। जिससे पैसा अंतिम तिमाही में या कभी-कभी तो 31 मार्च तक ही व्यय हो पाता है। स्वाभाविक रूप से दवाब संबंधित ठेकेदार के साथ-साथ विभाग या मंत्रालय पर भी आ जाता है जिससे उस काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने बजट को पहले पेश करने का मन बनाया और उसे इस वर्ष से मूर्त रूप भी देने जा रही है। सरकार के इस कार्य से बजट पर लोकसभा एवं राज्यसभा में चर्चा के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा तथा संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की शुरूआत करने में भी सुविधा होगी। इसमें सरकार की मंशा स्पष्ट है कि उसे कार्यों को शुरू करने से लेकर खत्म करने तक में समय की कमी नहीं होगी और सरकार भी उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेगी।

इस तरह के प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था में सुधार दिखाई देगा बल्कि उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने एवं निवेश को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी तथा कई वरिष्ठ मंत्रियों को सरकार की अर्थव्यवस्था के बारे में समय से आकलन करने में मदद मिलेगीय जिससे 2017 में सड़कों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, शिपिंग, कृषि के बुनियादी ढांचे आदि जैसे क्षेत्रों में राज्य के व्यय में आर्थिक पुनरुद्धार के लिए नया रास्ता भी खुलेगा और जब एक बार स्थिति में गतिशीलता आ जायेगी तो निजी क्षेत्र में गुणात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और पूरे चक्र में एक परिवर्तन दिखाई देगा।

बजट में ग्रामीण परिदृश्य पर और ध्यान देने की उम्मीद है ताकि आने वाले महीनों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सरकारी कार्यक्रम सकल घरेलू उत्पाद की गति में उत्प्रेरक साबित हों।

इस तरह, पूरे बजट का सदुपयोग किया जा सकेगा और अंतत हम कह सकते हैं कि सरकार की मंशा सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाने की है।

देश की सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हिमाचल

47वां पूर्ण राज्यत्व दिवस:25 जनवरी, 2017

शिमला/शैल। हम हिमाचल प्रदेश का 47वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मना रहे हैं। व र्ा 1971 में इसी पावन दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला से हज़ारों प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्रदान किया। इसके साथ ही हमारा प्रदेश भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य बना और प्रदेशवासियों को उनकी आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप समृद्धि और खुशहाली के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ने का मैं, इस अवसर पर, हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं इस पावन धरा के उन महान सपूतों व देशभक्तों के प्रति भी सम्मान व कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को देश में पर्वतीय क्षेत्र के विकास का आदर्श व विकास के अनेक मानकों में अग्रणी राज्य बनाने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इस पावन अवसर पर हम हिमाचल निर्माता तथा प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार को भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने प्रदेश को न केवल अलग पहचान एवं दर्जा दिलाने के संघर्ष की अगुवाई की, बल्कि राज्य के आरंभिक काल में भावी विकास के लिए एक मज़बूत नींव भी रखी।

इस वर्ष हम पूर्ण राज्यत्व की 46वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पूर्ण राज्यत्व की प्राप्ति के सुअवसर पर इंदिरा गांधी का कथन सत्य साबित हुआ हैं– ''हिमाचल प्रदेश के बहादुर लोगों ने जिस दिलेरी और हिम्मत के साथ बर्फीले तूफानों का सामना किया है, मुझे आशा है उसी प्रकार वे भविष्य में राज्य के विकास में आने वाली चुनौतियों का भी डटकर मुकाबला करेंगे।'' पूर्ण राज्य बनने के उपरांत हिमाचल प्रदेश, छोटे राज्यों के लिए न केवल विकास का मॉडल बना है, बल्कि स्वास्थ्य, बागवानी, समाज कल्याण तथा समावेशी वृद्धि जैसे क्षेत्रों में देश बड़े राज्यों की श्रेणी में भी यह अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हिमाचल प्रदेश को आज देश भर में सबसे अधिक खुशहाल और आर्थिक रूप से तेजी से उभरते प्रदेश के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक सहित आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्टों और विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा जारी आकलनों ने राज्य द्वारा अर्जित उपलब्धियों को सत्यापित किया है।

वर्तमान प्रदेश सरकार ने एक माह पूर्व ही अपने वर्तमान कार्यकाल के चार वर्ष पूर्ण किए हैं। इस अवधि में हमारा प्रयास प्रदेशवासियों को पारदर्शी, जवाबदेह एवं कारगर शासन प्रदान करना तथा सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के लाभ बेहतर ढंग से जनमानस तक पहुंचाने का रहा है।

आम आदमी का कल्याण सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 450 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 3,87,000 वृद्ध विधवाएं तथा अक्षम व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को बिना किसी आय सीमा के मापदंड के 1200 रुपये प्रतिमाह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है।

'राजीव गांधी अन्न योजना' कार्यान्वित कर प्रदेश के लगभग 37 लाख लोगों को 3 किलो गेहूं, दो रुपये प्रति किलो तथा दो किलो चावल 3 रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह प्रति व्यक्ति प्रदान किए जा रहे हैं। सभी 18,23,665 राशनकार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाकर 77,23,788 लोगों को लाभान्वित किया गया है तथा उन्हें गेहूं, चावल, दालें, खाद्य तेल तथा आयोडीनयुक्त नमक उपदानयुक्त दरों पर प्रदान किया जा रहा है।

प्रदेश में बेरोज़गार युवाओं के कौशल विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की 'कौशल विकास भत्ता योजना' कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बेरोज़गार युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह तथा विशेष क्षमता वाले युवाओं को 1500 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.52 लाख युवा लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का गठन किया गया जो आगामी पांच वर्षों में 65 हजार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रदेश में कौशल विकास के लिए एशियन विकास बैंक द्वारा 640 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है।

प्रदेश में 111.19 करोड़ रुपये की डॉ. वाई.एस. परमार, किसान स्वरोज़गार योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत किसानों को पॉलिहाउस के निर्माण के लिए 85 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत अब तक 879 पॉलिहाउस इकाइयों का निर्माण कर 1,32,795 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को संरक्षित खेती के अधीन लाया गया है। किसानों को टपक/फव्वारा सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए 154 करोड़ रुपये की 'राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना' आरंभ की गई है।

बागवानी का प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान है। राज्य के लिए 1169.15 करोड़ रुपये की 'हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना' स्वीकृत करवाई गई है। एंटी-हेलनेट पर उपदान को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया गया है तथा सेब, आम एवं किन्नू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि की गई है।

हमारी सरकार सभी बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के प्रति कृतसंकल्प है। गत चार वर्षों के दौरान प्रदेश में 1329 नए विद्यालय खोले अथवा स्तरोन्नत किए गए तथा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 38 नए महाविद्यालय खोले गए और चार निजी कॉलेजों का अधिग्रहण किया गया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों एवं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। 'राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना' के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 32,500 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क नेटबुक/लेपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं।

प्रदेश के ऊना ज़िले में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तथा सिरमौर जिले में भारतीय प्रबंधन संस्थान खोला गया है। राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, नगरोटा बगवां में कक्षाएं आरंभ की गई है।

हमारी सरकार लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति कटिबद्ध है। प्रदेश सरकार 'मुफ्त दवा नीति' के तहत 56 दवाएं मुफ्त उपलब्ध करवा रही है। इस अवधि के दौरान प्रदेश में 168 नए स्वास्थ्य संस्थान खोले गए अथवा उनका दर्जा बढ़ाया गया है। सिरमौर जिले के नाहन में नया मेडिकल कॉलेज खोला गया है जबकि चंबा तथा हमीरपुर जिलों में दो मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज मंडी को प्रदेश सरकार द्वारा अधिगृहित किया गया है। प्रदेश के लिए एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्वीकृत किया गया है, जिसे बिलासपुर जिले में खोला जाएगा।

150 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला में सुविधाओं को स्तरोन्नत किया जा रहा है। 45 करोड़ रुपये की लागत से डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा में एक सुपरस्पेशिलिटी खंड का निर्माण किया गया है।

प्रदेश में गत चार वर्षों के दौरान 1721 किलोमीटर नई सड़कों तथा 180 पुलों का निर्माण किया गया। इसके अलावा इस अवधि में 276 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। नाबार्ड के तहत 1052.63 करोड़ रुपये लागत की 301 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के तहत 495 किलोमीटर सड़कों और 87 पुलों का निर्माण किया गया। 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के अंतर्गत 766 करोड़ रुपये की लागत से 2312 किलोमीटर सड़कों की 241 परियोजनाएं भारत सरकार से स्वीकृत करवाई गई हैं।

हर घर को स्वच्छ पेयजल प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। गत चार वर्षों के दौरान 7918 अतिरिक्त बस्तियों को ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत लाया गया है। इस अवधि के दौरान पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर 1033.85 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं तथा जलाभाव वाले क्षेत्रों में 6449 हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। 470.58 करोड़ रुपये की लागत से 3716 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है। ऊना जिले में 922 करोड़ रुपये की 'स्वां तटीकरण परियोजना' तथा कांगड़ा जिले में 180 करोड़ रुपये की 'छोंछ खड्ड परियोजना' का कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश के समावेशी विकास एवं राज्य के युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए नियोजित औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। राज्य सरकार ने प्रदेश के बेहतर एवं तीव्र औद्योगीकरण के लिए औद्योगिक सलाहकार परिषद् का गठन किया है। उद्यमियों को प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए मुंबई, बैंगलुरू, अहमदाबाद तथा नई दिल्ली में 'इवेस्टर मीट' आयोजित की गई हैं। प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के कंदरौड़ी में 140 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत तथा ऊना ज़िले के पंडोगा में 122 करोड़ रुपये की लागत से नए आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना को एक ही आवेदन पत्र पर 45 दिनों के भीतर सभी स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं।

एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण द्वारा इस अवधि के दौरान 13,262 करोड़ रुपये निवेश की 283 इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें लगभग 26,680 युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। नए उद्यमियों की सुविधा के लिए स्टाम्प शुल्क एवं भूमि उपयोग हस्तांतरण शुल्क में कटौती की गई है। 300 से अधिक हिमाचलियों को रोज़गार प्रदान करने वाली नई औद्योगिक इकाइयों से पांच वर्षों तक केवल एक प्रतिशत विद्युत शुल्क वसूला जाएगा। हमारी सरकार ने युवा उद्यमियों और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में 'स्टार्ट-अप प्रोग्राम' आरंभ किया है।

राज्य सरकार प्रदेश में सतत् पर्यटन विकास को प्रोत्साहन दे रही है। प्रदेश के प्रमुख स्थलों में अधोसंरचना विकास तथा समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा 570 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई हैं।

प्रदेश सरकार ने ऊर्जा बचत के लिए एक वृहद् एलईडी प्रोत्साहन योजना आरम्भ की है, जिसके अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को बाजार भाव से आधे से भी कम मूल्य पर एलईडी बल्ब प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को उपदानयुक्त दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 996 करोड़ रुपये का उपदान दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपदान पर 448 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित, भरोसेमंद तथा आरामदेह परिवहन सेवाएं प्रदान की जाएं। राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में 1315 नई बसें शामिल की गई हैं, जबकि 300 और बसें शीघ्र उपलब्ध करवाई जाएंगी। सभी महिलाओं को राज्य पथ परिवहन निगम की सामान्य बसों में प्रदेश के भीतर किराये में 25 प्रतिशत छूट दी जा रही है।

राज्य सरकार ने टीडी नीति/नियमों में संशोधन कर टीडी धारकों को राहत पहुंचाई है। प्रदेश के 775 गांवों की एक लाख से अधिक जनसंख्या को वन्य प्राणी क्षेत्रों से बाहर किया गया है। मध्य हिमालय विकास परियोजना के तहत 365 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 630.76 करोड़ किया गया है और प्रदेश की 102 नई पंचायतों को इसके अंतर्गत लाया गया है। राज्य को हरा-भरा बनाए रखने के लिए प्रदेश भर में लोगों के सक्रिय सहयोग से व्यापक पौधरोपण अभियान कार्यान्वित किया गया है।

मेरी सरकार प्रदेश के सरकारी एवं निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर सृजित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। प्रदेश में गत चार वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र में 44,463 युवाओं को रोज़गार के अवसर मुहैया करवाए गए और निजी क्षेत्र में 27 हजार युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाया गया। प्रदेश के कर्मचारियों को इस अवधि में 2454.88 करोड़ रुपये और पेंशनरों को 910 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए। दिहाड़ीदारों की न्यूनतम दिहाड़ी को 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किया गया है।

मेरी सरकार ने प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवारत सैनिकों व उनके आश्रितों को सदैव उचित आदर एवं सम्मान दिया है। सरकार ने प्रदेश के जांबाज सैनिकों की सेवाओं को सम्मान देते हुए परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं को मिलने वाले एकमुश्त अनुदान को 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया है। महावीर चक्र विजेताओं के लिए अनुदान राशि 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है। इन वीरता पुरस्कार विजेताओं की वार्षिकी की दरों को क्रमशः 1.25 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये, एक लाख से तीन लाख रुपये तथा एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है।

प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा सभी वर्गों का समान व संतुलित विकास सुनिश्चित बनाने के लिए प्रदेश सरकार जवाबदेह व कुशल प्रशासन प्रदान करने के प्रति कृतसंकल्प है।

पूर्ण राज्यत्व दिवस के इस पावन अवसर पर मैं, सभी प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हिमाचल को देश का समृद्ध और हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए मेरी सरकार अथक प्रयास करेगी

हिमाचल प्रदेश के 47वें पूर्ण राज्यत्व दिवस

के

पावन अवसर पर

समस्त प्रदेशवासियों को

हार्दिक बधाई

25 जनवरी 1971 से अब तक
विकास ने छुए नये शिखर

हमारे सतत् अथक प्रयासों से –

- सबको सुलभ हुई शिक्षा
- घर–द्वार पहुंची स्वास्थ्य सुविधाएं
- उद्योगों से बढ़े रोज़गार
- बेरोज़गारों का निखरा हुनर
- हर घर पहुँची बिजली
- प्रत्येक घर में पेयजल
- गाँव–गाँव जुड़े सड़कों से
- कृषि–बागवानी से आर्थिकी को मिला सम्बल

पिछले 46 वर्षों की विकास यात्रा

	वर्ष–1971	वर्ष–2017
सड़कें	7740 (कि.मी.)	37,000 (कि.मी.) से अधिक
शिक्षण संस्थान	4963	16,000 से अधिक
साक्षरता दर	31.30%	82.80% (2011)
स्वास्थ्य संस्थान	620	4000 से अधिक
विद्युतीकृत गाँव	2904	100%
पेयजल प्राप्त गाँव	1900	100%
प्रति व्यक्ति आय	651 रुपये	1,30,067 रुपये
वार्षिक योजना	2.11 करोड़ रुपये	4800 करोड़ रुपये (2015–16)

सर्वकल्याण–सरकार की पहचान

उन्नत और खुशहाल हिमाचल

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177–2805015, 94180–15015 फैक्स: 2805015

बेटे को स्थापित करने के लिये वीरभद्र ने चला दांव शिमला ग्रामीण से घोषित की उम्मीदवारी

शिमला/बलदेव शर्मा

बेटा अक्सर बाप की विरासत संभालता है और हर बाप बेटे को स्थापित करने का हर संभव प्रयास करता है। यह एक ऐसा स्वीकृति सच है। जिसमें अपवाद की गुंजाईश बहुत कम रहती है। इसी परम्परा को निभाते हुए वीरभद्र ने पहले विक्रमादित्य को प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और अब शिमला ग्रामीण से विधायकी का एलान कर दिया है। प्रदेश की जनता और प्रशासनिक हल्कों के लिये यह ऐलान अप्रत्याशित नही है। लेकिन राजनीतिक दलों के भीतर इस ऐलान से कई समीकरणों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इस समय कांग्रेस के भीतर ही जी एस बाली और अनिल शर्मा के बेटे विधायकी की दावेदारी जताने लायक हो चुके है। चर्चा तो यह भी है। कि विद्यास्टोक्स भी अपनी राजनीतिक अपनी बेटी को सौंपने की ईच्छा रखती है और पिछले दिनों केहर सिंह खाची के साथ हुए झगड़े की पृष्ठभूमि में भी यही ईच्छा रही है। बहुत संभव है कि वीरभद्र सिंह के इस ऐलान के बाद पार्टी के कई और नेता भी ऐसा करने का प्रयास करें। वीरभद्र के इस ऐलान पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं उभरती है यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा ।

अब जब वीरभद्र ने शिमला ग्रामीण अपने बेटे के लिये छोड़ दिया है तो यह सवाल उठना स्वभाविक है। कि वीरभद्र स्वयं कहां से चुनाव लडेंगे। मुख्यमन्त्री ने यह भी ऐलान किया है कि वो ऐसे चुनाव क्षेत्र से लड़ेंगे जंहा से कांग्रेस लगातार हारती आ रही है। इस हार के गणित में जिला शिमला में शिमला (शहरी) सोलन में अर्की और ऊना में कुटलैहड़ ऐसे चुनाव क्षेत्र है जहां से लगातार कांग्रेस हार रही है। स्मरणीय हैं कि पिछले दिनों जब सुक्खु और वीरभद्र का वाक्युद्ध फिर सार्वजनिक हुआ था तब अपरोक्ष में सुक्खु ने ही वीरभद्र को यह चुनौती दी थी कि उन्हे अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर जाकर प्रदेश के किसी अन्य भाग से चुनाव लड़ना चाहिये। इस परिदृश्य में सोलन का अर्की और ऊना का कुटलैहड ही सबसे पहले नजर में आते है। अर्की के कुनिहार में जब वीरभद्र के पिता स्व0 पदम सिंह के नाम पर जब कुनिहार पंचायत ने क्रिकेट स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव रखा था उस समय ही राजनीतिक हल्कों में यह संदेश चला गया था कि आने वाले विधानसभा चुनावों में वीरभद्र परिवार की यहां पर नजर रहेगी। उस समय यह कयास लगाये जाने लगे थे कि शायद प्रतिभा सिंह यहां से उम्मीदवार बने। अर्की में वीरभद्र पूर्व मन्त्री स्व0 हरिदास के एक बेटे को अपने साथ गले लगाये हुए है तो इसी के साथ यहीं से डिप्टी स्पीकर रहे स्व0 धर्मपाल के बेटे की भी पीठ थपथपाते रहे है। यहीं से पूर्व मन्त्री स्व हीरा सिंह पाल के बेटे डा अमरचन्द पाल भी वीरभद्र के विश्वस्तों में रहे है यह भी यहां से चुनाव लड़ना चाहते है। इनके अतिरिक्त पिछली बार यहां से संजय अवस्थी को और उससे पहले प्रकाश करड़ यहां से उम्मीदवार रह चुके है लेकिन इस सब मे जिस कदर के आपसी मतभेद है उसी के कारण कांग्रेस यहां से हारती रही है। फिर स्व. हरिदास ठाकुर का

एक बेटा इन्दर सिंह ठाकुर पहले प0 सुखराम और अब ठाकुर कौल सिंह का विश्वस्त है। यही सारे लोग यहां से पार्टी के स्थानीय नेता और प्रमुख कार्यकर्ता है। अब डा0 मस्त राम का नाम भी इस सूची में जुड गया है। इन सारे स्थानीय लोगों को आपस में ईनामदारी से इकट्ठे करने पर ही यहां से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित की जा सकती है।

इसी तरह शिमला शहरी में भी वामपंथियों और भाजपा का अपने-अपने कट्टर वोट का एक तय आंकडा है जो कभी भी इधर उधर नही होता है। फिर अब शिमला (शहरी) में ढली से ऊपर के पहाड़ी वोट की तुलना में यहां पर ऊना के वोटर की संख्या अधिक है। शिमला (शहरी) में सूद समुदाय का भी अपना खास प्रभाव है। शहर का अधिकांश बिजनेस समुदाय इसी सूद समुदाय से है। फिर शिमला अर्बन कांग्रेस कमेटी में वीरभद्र समर्थको और विरोधीयों में निश्चित तय मतभेद है। यहां से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिये इन सब अलग-अलग वर्गो को एक सूत्र में बांधकर रख पाना ही सबसे बड़ी चुनौती है फिर इस बार पहली बर्फबारी में जिस तरह से यहां पर सारी आवश्यक सेवायें चरमरा गयी थी उससे सरकार की कार्यप्रणाली और विकास के सारे दावों पर ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा है। जिसका नुकसान चुनावों में होना तय है। बल्कि इसी गणित में यदि शिमला ग्रामीण को भी आंका जाये तो वहां भी स्थितियां बहुत सुखद नहीं है। शिमला ग्रामीण में किये गये सारे विकास कार्यो का जमीनी प्रभाव क्या और कितना रहा है। इसका खुलासा पिछले लोकसभा चुनावों में सामने आ चुका है। शिमला ग्रामीण में कांग्रेस संगठन पर जिन लोगों का कब्जा है उनका जनता से दूर-दूर तक कोई तालमेल नही हैं बल्कि यहां के कांग्रेस प्रधान का नाम तो भाजपा के आरोप पत्र में भी बडी सुर्खियों में दर्ज है।

ऐसे में माना जा रहा है कि वीरभद्र ने अभी से अपने बेटे और अपनी सांकेतिक उम्मीदवारी घोषित करके इन चुनाव क्षेत्रों में पूरे हालात को अपने नियन्त्रण रखने का दांव चला दिया है। अब यहां की कमान कौन संभालता है इस पर सबकी नजर रहेगी। क्योंकि एक समय तो दबी जुबान में यहां तक चर्चा उठ गयी थी कि शिमला ग्रामीण पर हर्षमहाजन की भी नजर है। क्योंकि हर्ष महाजन ने भी शिमला ग्रामीण में परोक्ष/अपरोक्ष में कई संपत्तियों पर निवेश किया हुआ है। अब चुनावों के दौरान इस तरह के कई खुलासे सामने आने की संभावनाएं है। इस सबका चुनावी गणित पर असर पडना स्वाभाविक हैं क्योंकि यही के प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम के दो किलोमीटर के दायरे में कई बड़े नौकरशाहों और राजनेताओ ने जमीनें खरीद रखी है। यह जमीन खरीद भी चुनावों में एक बडा मुद्दा बनना तय है। वीरभद्र और उनका बेटा इन चुनौतियों से कैसे निपटते है इस पर अभी से सबकी नजरें लग गयी है।

घातक हो सकता है प्रशासन के शीर्ष अधिकारियो में उभरा टकराव

शिमला/बलदेव शर्मा

1983 बैच के आई ए एस अधिकारी वी सी फारखा को प्रदेश का मुख्य सचिव बना दिये जाने पर उनसे वरिष्ठ 1982 के अधिकारियों में रोष पनपना और सरकार की कारवाई को अन्याय करार देना स्वभाविक हैं

क्योंकि इन वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी पोस्ट के लिये न कवेल नजर अन्दाज ही किया गया बल्कि इन्हें अपने कनिष्ठ के अधीन ही काम करने के लिये बाध्य किया गया। मुख्य सचिव मुख्यमन्त्री का विश्वस्त ही होना चाहिए यह सही है लेकिन इसमे यह भी उतना ही आवश्यक है कि एक वरिष्ठ अधिकारी को अपने से कनिष्ठ के नियन्त्रण में काम करने की भी स्थिति न खड़ी कर दी जाये जिससे की उनके आत्म सम्मान को ठेस न पहुंचे। वैसे भी प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिये यह आवश्वयक भी है इससे पहले भी प्रदेश में मुख्य सचिव की तैनाती के मौके पर दो बार वरिष्ठो को नजरअन्दाज किया गया है। पहली बार रेणु साहनीधर और दूसरी बार ओपी यादव और सीपी सुजाया नजर अन्दाज हुए थे परन्तु उन्हे मुख्य सचिव के साथ ही उसके नियन्त्रण से बाहर भी कर दिया गया था और इसी कारण वह लोग अदालत तक नही गये थे। लेकिन इस बार ऐसा नही हुआ और मामला अदालत तक जा पहुंच है। अदालत ने इन अधिकारियों को अन्तरिम राहत देते हुए अपने कनिष्ठ के नियन्त्रण में काम करने की स्थिति से बाहर रखने के निर्देश देते हुए सरकार को पोस्टिंग देने के आदेश दिये थे। सरकार ने इन आदेशों पर अमल करते हुए इन्हे निर्देशित पोस्टिंग भी दे दी है। अभी इस मामले में सरकार ने विस्तृत जवाब दायर करना है और उसके बाद इसमें उठाये गये कानूनी और प्रशासनिक सवालों पर फैसला आयेगा। यह भी तय है कि फैसला आयेगा इसका प्रभाव दूरगामी होगा।

कैट में गयी इस याचिका में कहा गया है कि 31.5.2016 को फारखा को सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक बुलाये बिना ही मुख्य सचिव बना दिया गया है। यह भी कहा गया है कि फारखा 4.3.2014 को स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के बिना ही मुख्य सचिव को वेतन मान दे दिया गया है। जबकि उस समय अतिरिक्त मुख्य सचिव के नियमित काडर के सदस्य नही थे और इस नाते मुख्य सचिव के चयन के दायरे में ही नही आते है। इसके लिये आई ए एस काडर रूल्ज 1954 और 1955 के रेगुलेशनज के प्रावधानों का हवाला दिया गया है। इसमें एक महत्वपर्ण तथ्य यह दिया गया है। कि हिमाचल प्रदेश में एक मुख्य सचिव और एक अतिरिक्त मुख्यसचिव के पद काडर में स्वीकृत है और इनके समकक्ष दो ही पद अतिरिक्त मुख्यसचिव के एकक्ष काडर सृजित किये जा सकते है इस आश्य का आदेश 20.8.2007 का पारित हुआ है और इसके मुताबिक प्रदेश में चार ही अधिकारी उच्चतम वेतन मान के अधिकारी हैं लेकिन 26.5.2016 को कार्मिक विभाग ने मुख्यमन्त्री के सामने जो सूची रखी है इसमें 16 अधिकारियों को उच्चतम वेतनमान में दिखाया गया जबकि इनमें से केन्द्र की प्रति नियुक्ति में तैनात चार अधिकारी तो वास्तव में 67000-79000 के एच ए जी स्केल में हैं याचिका में रखे गये तथ्यों और तर्को से यह स्पष्ट हो जाता है कि जितने अधिकारियों को उच्चतम वेतन मान में रखा गया है। उन सबको मुख्य सचिव के चयन के दायरे में नही लाया जा सकता। इनके मुताबिक इस दायरे में केवल वरिष्ठतम चार ही अधिकारी आ सकते है।

प्रदेश सरकार ने इस याचिका में जो अन्तरिम जवाब दायर किया है उसमें कहा गया है कि 4.3.2014 के जिस आदेश को चुनौती दी गयी है। उसे एक वर्ष के भीतर ही चुनौती दी जा सकती थी अब नही। लेकिन यह नही कहा गया हैं कि 4.3.2014 को वह आदेश वैध था। इससे यह भी प्रमाणित हो जाता है। आगे चलकर अतिरिक्त मुख्य सचिवों के इतने पद सृजित करने में भी तय नियमों की अवेहलना हुई है। सरकार के अन्तरिम जवाब में यह भी कहा गया है कि दीपक सानन के जांच दर्ज होने और 19.5.2014 को उसकी सूचना प्रदेश सरकार को भी दिये जाने का भी जिक्र किया गया है सरकार ने चार्जशीट किया हुआ है। विनित चौधरी के खिलाफ 1.5.2014 को सीबीआई में प्रारम्भिक जांच दर्ज होने और 19.5.2014 का उसकी सूचना प्रदेश सरकार को दिये जाने का भी जिक्र किया गया है। इस जांच पर आगे क्या हुआ है। इस बारे

में कुछ नही कहा गया है। लेकिन इस जांच को चौधरी के खिलाफ आधार बनाया गया है।

सरकार के अन्तरिम जबाव में उठाये गये इन सवालों का यह अधिकारी क्या जबाव देते है यह तो आने वाले समय में स्पष्ट हो पायेगा लेकिन याचिका में मुख्य सचिव के चयन के दायरे में केवल वरिष्टतम चार लोगों को ही रखने का जो पक्ष रखा गया है। उससे भविष्य के लिये एक लाईन तय हो जायेगी यह माना जा रहा हैं बहरहाल यह अंदेशा हैं कि प्रशासन के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों में उभरा यह टकराव कहीं व्यक्तिगत न हो जाये।